भारत सरकार
ग्रामीण विकास मंत्रालय
ग्रामीण विकास विभाग

लोक सभा

अतारांकित प्रश्न सं. 271
(21 जुलाई, 2026 को उत्तर दिए जाने के लिए)

पश्चिम बंगाल को निधि का आबंटन

271. श्री दीपक अधिकारी (देव):

क्या **ग्रामीण विकास मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या पिछले दो महीनों के दौरान ग्रामीण विकास मंत्रालय के तहत विभिन्न केंद्र प्रायोजित योजनाओं के लिए पश्चिम बंगाल सरकार को कोई निधि जारी की गई है; और
(ख) यदि हाँ, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है?

उत्तर
ग्रामीण विकास राज्य मंत्री
(श्री कमलेश पासवान)

(क) से (ख): वर्तमान एसएनए-स्पर्श मॉडल के अनुसार, केंद्र प्रायोजित योजनाओं को लागू करने वाले राज्यों को संबंधित कार्यक्रम/योजना के तहत व्यय करने या निधि संवितरित करने के लिए मूल स्वीकृतियां जारी की जाती है और राज्यों के खातों में कोई एकमुश्त निधि जारी नहीं की जाती है। ग्रामीण विकास मंत्रालय के विभिन्न कार्यक्रमों के तहत पश्चिम बंगाल सरकार को जारी की गई मूल स्वीकृतियों का विवरण, जहां भी लागू हो, नीचे दिया गया है:

क्र. सं.	**कार्यक्रम/योजनाएं**	**राशि (करोड़ रु. में)**	**तिथि/जारी किए जाने की अवधि**
1.	प्रधानमंत्री ग्राम सड़क योजना (पीएमजीएसवाई)	455.00	22.05.2026
2.	दीन दयाल उपाध्याय ग्रामीण कौशल्य	10.00	मई-जून, 2026

	योजना (डीडीयू-जीकेवाई)		
3.	दीनदयाल अंत्योदय योजना-राष्ट्रीय ग्रामीण आजीविका मिशन (डीएवाई-एनआरएलएम)	451.12 एनआरएलएम)	28.04.2026
		20.00 (एमकेएसपी*)	08.05.2026
		9.00 (एसवीईपी**)	11.05.2026
4.	महात्मा गांधी राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार गारंटी योजना (एमजीएनआरईजीएस)	316.58	जून-जुलाई, 2026
5.	विकसित भारत - रोजगार और आजीविका मिशन (ग्रामीण) (वीबी-जी राम जी)	1264.50	

*एमकेएसपी:-महिला किसान सशक्तिकरण परियोजना

**एसवीईपी:- स्टार्ट-अप ग्राम उद्यमिता कार्यक्रम
